महत्वपूर्ण/शीर्ष प्राथमिकता
संख्या- 5139/नौ-5-2014-215सा/2014

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **समस्त नगर आयुक्त,** नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
2. **समस्त अधिशासी अधिकारी,** नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत, उत्तर प्रदेश (द्वारा जिलाधिकारी)।

नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊः दिनांकः 1 सितम्बर, 2014

विषयः ऐसे राष्ट्रीय राजमार्ग, जो कि नगरीय निकायों की सीमा के अन्दर से गुजर रहे हैं, और इनकी स्थित खराब है, पर साईन बोर्ड लगवाने तथा सड़कों की दुर्दशा के कारण उत्पन्न सार्वजनिक अपदूषण के लिये धारा-133 सीआरपीसी या सुसंगत अधिनियमों की धाराओं में भारत सरकार के एन0एच0/एन0एच0 ए0आई0 के संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि भारत सरकार के नेशनल हाईवे (NH) एवं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इण्डिया (NHAI) से संबंधित मार्ग, जो भी उत्तर प्रदेश की सीमा में हैं, सामान्यतः स्थिति अत्यन्त ही खराब है और पिछले लगभग 02 वर्षों में इनके मरम्मत का कार्य बहुत की उपेक्षित/शिथिल रहा है। यह भी देखने में आया है कि जहॉ-जहॉ यह मार्ग नगरीय निकाय क्षेत्र से गुजर रहा हैं, उनकी दशा अत्यन्त ही खराब है, जिसके कारण भारी वाहनों के एक्सेल तक टूट रहे हैं व पलट भी जा रही हैं। उक्त स्थिति से सार्वजनिक अपदूषण (Public Nuisance) उत्पन्न हो गया है तथा निरन्तर दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिससे लोगों के जीवन का खतरा उत्पन्न हो गया है। साथ ही सड़कों पर जाम भी लगता है जिससे ईंधन की क्षति होती है और पर्यावरण भी दूषित होता है।

2- अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार के नेशनल हाईवे (NH) एवं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इण्डिया (NHAI) से संबंधित मार्ग, जो उत्तर प्रदेश के जनपदों की नगरीय निकायों की सीमा के अन्दर से गुजरने वाले ऐसे मार्ग जिनकी दुर्दशा के कारण सार्वजनिक अपदूषण (Public Nuisance) उत्पन्न हो रहा है तथा दुर्घटनाएं हो रही हैं व लोगों के जीवन का खतरा उत्पन्न हो गया है, उनपर साईन बोर्ड लगवायी जाय जो यह प्रदर्शित करे कि संबंधित सड़क भारत सरकार की है तथा उनके द्वारा ही इसका रखरखाव किया जा रहा है। साथ ही सार्वजनिक अपदूषण के लिये धारा-133 सी0आर0पी0सी0 या सुसंगत अधिनियमों की धाराओं में भारत सरकार के एन0एच0/एन0एच0ए0आई0 के संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही कराते हुए कृत कार्यवाही की आख्या निदेशक, नगरीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ/शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव।

संख्या- 5139(1)/नौ-5-2014 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी/मा0 राज्यमंत्री जी, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मा0 महापौर/मा0 अध्यक्ष, नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उत्तर प्रदेश।
3. निदेशक, नगरीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि निकायों से प्राप्त संबंधित सूचनाओं को संकलित कर शासन को प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. नगर विकास विभाग के समस्त अनुभाग/गंगासेल/कम्प्यूटर सेल/गार्ड बुक।

आज्ञा से

(उमा शंकर सिंह)
उप सचिव।